बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 9/ 2017– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

विषय– पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिला में नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालयों में वर्ष 2017–18 से सत्रारंभ करने हेतु पुस्तक/जरनल सहित अन्य कार्यालय सामग्री के क्रय हेतु प्रतिसंस्थान रू॰ 8,00,000=00 (आठ लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल रू॰ 24,00,000=00 (चौबीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संबंधित मेंटर संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिला में नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालयों में वर्ष 2017–18 से सत्रारंभ करने हेतु पुस्तक/जरनल सहित अन्य कार्यालय सामग्री के क्रय हेतु प्रतिसंस्थान रू॰ 8,00,000=00 (आठ लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल रू॰ 24,00,000=00 (चौबीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संबंधित मेंटर संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि
1.	अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया	रू॰ 8,00,000=00
2.	अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा	रू॰ 8,00,000=00
3.	अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल	रू॰ 8,00,000=00
	कुल	रू॰ 24,00,000=00

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 112–इंजीनियरी / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष– 0101– स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" के अधीन 13–कार्यालयी व्यय विस्तृत शीर्ष के 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड 43–2203001120101 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार कटिहार, छपरा एवं दरभंगा से की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि से प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आवश्यक पुस्तक/जरनल तथा अन्य कार्यालय उपयोग हेतु सामग्रियों का क्रय किया जायेगा।

6. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 9 / 2017– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 9 / 2017– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार कटिहार, सहरसा एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 9 / 2017– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार सह अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया / प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रैद्योगिकी संस्थान छपरा सह अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा / प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा सह अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 9 / 2017– 1690 / पटना, दिनांक– 19.7.017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / उप निदेशक (यो) / बजट सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.7.17
सरकार के उप सचिव

19/7/17